

10/5/2018
10/5/2018

पत्रावली पेश हुई। राजस्व को
अदालत अदालत लेखा के न 190
कालीअल पर आज पेश हुई,
बादी वकील ने बाद पत्र प्ल
नेट विषय अंशित किया। वर
वकील वर पत्र को अलग
नहीं चढ़ते हैं अतः वर वकी
प्रथम प्रेस में खारिज किया
जाता है पत्रावली केवल शुभ
दोसरा राय के रूप में वर
दफ्तर काजिल है

र